राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

रिव्यु याचिका संख्या :– 33/2022 अंतर्गत

अपील संख्या :– 4654/2022

–अपीलार्थी

सुनिता

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.11.2022
आदेश की दिनांक : 09.11.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के. सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी द्वारा रिव्यु याचिका इस अधिकरण द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 4654/2022 सुनिता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में प्रस्तुत की गई है। जिस अपील में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 04.11.2022 के द्वारा अपील को खारिज किया गया था।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में उक्त अपील संख्या 4654/2022 में अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई। जिस संशोधित अपील में सहवन से गलत दस्तावेज प्रस्तुत हो गये, जो अपीलार्थी से संबंधित नहीं थे और उन दस्तावेजों को देखते हुए अपील खारिज की गई थी। ऐसे में अपील को गलत दस्तावेजों के आधार पर अपील खारिज की गई थी। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने पूर्व में संशोधित याचिका के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये थे, वे अपीलार्थी के संबंध नहीं होना प्रकट हुआ है। ऐसे में रिव्यू याचिका स्वीकार की जाती है। इस अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2022 अपास्त किया जाता है।

4. अपील संख्या 4654/2022 पर पुनः सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से पुनः नवीन संशोधित अपील प्रस्तुत की गई, जो न्यायहित में रिकॉर्ड पर ली जाती है।
5. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थीया का स्थानांतरण पीएचसी चूड़ी, झुंझुनू से सीएचसी बिलाड़ा, जोधपुर किया गया था, जो अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए किया गया, जबकि अपीलार्थी अधिशेष नहीं थी और उसकी रिक्त पर पर नियुक्ति हुई थी। जिसके संबंध में कार्यालय आदेश दिनांक 26.12.2019 (अनुलग्नक–4) के रूप में संलग्न है।
6. अपीलार्थी की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। कार्यालय आदेश दिनांक 26.12.2019 (अनुलग्नक–4) से प्रकट होता है कि अपीलार्थीया मेल नर्स द्वितीय के रिक्त पद पर पदस्थापित की गई थी। ऐसे में अपीलार्थीया जो महिला नर्सिंग ऑफिसर है, उसे मेल नर्स द्वितीय के पद के विरूद्ध कार्यरत रखा गया। ऐसे में अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए जो स्थानांतरण आदेश जारी किया गया, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि या नियम विरूद्धता अपीलार्थी प्रकट नहीं होती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्तमान स्थानांतरण आदेश जनहित में जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य स्थानांतरण आदेश में अधिकरण के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
8. आदेश आज दिनांक 09.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)